

(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-11, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
( विभागराजस्व)  
अधिसूचना

स-13/2015 .केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एनटी)

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2015

सा.का.नि. (अ) -- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3क की उपधारा (2) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चबाने वाला तंबाकू और अविनिर्मित तंबाकू पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) नियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चबाने वाला तंबाकू और अविनिर्मित तंबाकू पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) द्वितीय संशोधन नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. चबाने वाला तंबाकू और अविनिर्मित तंबाकू पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क का संग्रहण) नियम, 2010 में,--

(i) नियम 5 में,--

(क) "अधिसूचित मालों की मात्रा", शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "के समतुल्य होगी" शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"अधिसूचित मालों की मात्रा, जिनकी खुदरा कीमत नीचे दी गई सारणी -1 के स्तंभ (2) या सारणी - 2 के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट है, ऐसी प्रचालित पैकिंग मशीन के उपयोग द्वारा उत्पादित, जिसकी अधिकतम पैकिंग गति, जिस पर वह अधिसूचित माल की पैकिंग के लिए प्रचालित की जा सकती है, यथास्थिति, सारणी 1 के स्तंभ (3) या स्तंभ (4) या स्तंभ (5) या सारणी 2 के स्तंभ (3) या स्तंभ (4) या स्तंभ (5) में यथा विनिर्दिष्ट है, प्रतिमास वह मानी जाएगी, जो यथास्थिति, सारणी - 1 के स्तंभ (3क) या

स्तंभ (3ख) या स्तंभ (4क) या स्तंभ (4ख) या स्तंभ 5 या सारणी - 2 के स्तंभ 3 या स्तंभ (4) या स्तंभ 5(क) या स्तंभ 5(ख) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी प्रविष्टि के समतुल्य होगी”;

(ख) सारणी 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

सारणी - 2

क्रम सं.	खुदरा विक्रय कीमत (प्रति पाउच)	जर्दा सुगंधित तंबाकू और अविनिर्मित तंबाकू के लिए प्रति पैकिंग मशीन प्रति मास उत्पादन क्षमता (पाउचों की संख्या)			
		जर्दा सुगंधित तंबाकू		अविनिर्मित तंबाकू	
		प्रति मिनट 300 पाउच तक	प्रति मिनट 301 पाउच और अधिक	कोई भी गति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
				चूना ट्यूब/चूना पाउच के बिना	चूना ट्यूब/चूना पाउच सहित
				(5क)	(5ख)
1	1.00 रु0 तक	6988800	21216000	4992000	4742400
2	1.00 रु0 से अधिक किन्तु 1.50 रु0 से अधिक नहीं	6988800	21216000	4992000	4742400
3	1.50 रु0 से अधिक किन्तु 2.00 रु0 से अधिक नहीं	6289920	19094400	4492800	4243200
4	2.00 रु0 से अधिक किन्तु 3.00 रु0 से अधिक नहीं	6289920	19094400	4492800	4243200
5	3.00 रु0 से अधिक किन्तु 4.00 रु0 से अधिक नहीं	5870592	17821440	4193280	3943680
6	4.00 रु0 से अधिक किन्तु	5870592	17821440	4193280	3943680

	5.00 ₹0 से अधिक नहीं				
7	5.00 ₹0 से अधिक किन्तु 6.00 ₹0 से अधिक नहीं	5870592	17821440	4193280	3943680
8	6.00 ₹0 से अधिक किन्तु 7.00 ₹0 से अधिक नहीं	5591040	16972800	3993600	3744000
9	7.00 ₹0 से अधिक किन्तु 8.00 ₹0 से अधिक नहीं	5591040	16972800	3993600	3744000
10	8.00 ₹0 से अधिक किन्तु 9.00 ₹0 से अधिक नहीं	5591040	16972800	3993600	3744000
11	9.00 ₹0 से अधिक किन्तु 10.00 ₹0 से अधिक नहीं	5591040	16972800	3993600	3744000
12	10.00 ₹0 से अधिक किन्तु 15.00 ₹0 से अधिक नहीं	5255578	15954432	3753984	3566285
13	15.00 ₹0 से अधिक किन्तु 20.00 ₹0 से अधिक नहीं	4940243	14997166	3528745	3352308
14	20.00 ₹0 से अधिक किन्तु 25.00 ₹0 से अधिक नहीं	4643828	14097336	3317020	3151169
15	25.00 ₹0 से अधिक किन्तु 30.00 ₹0 से अधिक नहीं	4365199	13251496	3117999	2962099
16	30.00 ₹0 से अधिक किन्तु 35.00 ₹0 से अधिक नहीं	4103287	12456406	2930919	2784373
17	35.00 ₹0 से अधिक किन्तु 40.00 ₹0 से	3857090	11709022	2755064	2617311

	अधिक नहीं				
18	40.00 रु0 से अधिक किन्तु 45.00 रु0 से अधिक नहीं	3625664	11006481	2589760	2460272
19	45.00 रु0 से अधिक किन्तु 50.00 रु0 से अधिक नहीं	3408124	10346092	2434375	2312656
20	50.00 रु0 से अधिक	3408124	10346092	2434375	2312656

(iii) नियम 6 में, उपनियम (3) में, चौथे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“बशर्ते और भी कि 30 अप्रैल, 2015 के उत्पादन की वार्षिक क्षमता की संगणना अप्रैल, 2015 माह के कुल दिनों के आधार पर आनुपातिक आधार पर की जायेगी । ”

(फा.सं. 334/5/2015-टीआरयू )

(प्रमोद कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

**टिप्पण :** मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 127(अ), तारीख 27 फरवरी, 2010 द्वारा अधिसूचना सं. 11/2010-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 27 फरवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 04/2015-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 1 मार्च, 2015, जो सा.का.नि. 179(अ) तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

